मुक्त बहने दो नदियों को

परिणीता दांडेकर

भारत में करीब 5100 बड़े बांध हैं और संख्या के हिसाब से यह दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इस बात पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि बड़े बांधों से जितने फायदे मिलते हैं, वे उनकी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत की तुलना में बहुत कम हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने, एक ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, तमाम बड़ी नदियों पर बांध खड़े कर दिए। वैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर बांधों के निर्माण की योजना है। रंगनदी जैसी कुछ सहायक नदियों पर तो बांध बना भी दिए गए हैं। इस तरह हम नदियों की जलीय, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। हम अब भी ऐसी कोई कानूनी तौर पर बाध्यकारी नीति नहीं बना सके हैं जो नदियों के पर्यावरणीय बहाव को संरक्षित करे। अब यह बहुत साफ हो चुका है कि नदियों का पर्यावरणीय बहाव न सिर्फ पक्षियों और मछलियों के लिए, बल्कि मनुष्यों के लिए भी बेहद महत्त्वपूर्ण है।

जैसे मत्स्य पालन की ही बात करें। नदियों में बहाव की कमी और मछली पकड़ने के कार्य को ठेके पर देने से लाखों छोटे मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। प्राकृतिक बहाव प्रदूषण के प्रभाव को भी कम कर सकता है। इसलिए गौरतलब है कि नदियों की मछलियां प्रदूषण के कारण नहीं, बल्कि प्राकृतिक बहाव के अभाव की वजह से खत्म हो रही हैं।

यह साफ कर देना ज़रूरी है कि प्राकृतिक बहाव का मतलब मौजूदा तमाम बांधों को खत्म कर देना या औसत वार्षिक बहाव का कोई मनमाना आंकड़ा (जैसे 60 फीसदी या 10 फीसदी) हासिल करना नहीं है। पर्यावरणीय बहाव के लिए विज्ञान और स्थानीय विचार-विमर्श के ज़रिए किसी तर्कसम्मत समझौते पर पहुंचना ज़रूरी है और ऐसा हर नदी के लिए अलग-अलग करना होगा।

कई देशों ने अपने यहां की नदियों के पर्यावरणीय बहाव को बनाए रखने के लिए नीतियां और कानून बनाए हैं। नदियों की एक दुर्लभ श्रेणी हैः वे नदियां जिन पर बांध नहीं बनाए गए हैं, वे नदियां जो अपने उद्गम से समुद्र तक सातत्य बनाए रखती हैं और अनगिनत इकोसिस्टम व समुदायों का पोषण करती हैं। ये नदियां कई नामों से जानी जाती हैंः जैसे उन्मुक्त बहती नदियां, वन्य नदियां, आदिम या निर्मल नदियां, हेरिटेज नदियां आदि। हर नदी अपने विशिष्ट चरित्र और महत्त्व को इंगित करती है। पर्यावरणीय और सांस्कृतिक रूप से देखें, तो इन नदियों का महत्त्व बहुत अधिक है और जैसे-जैसे दुनिया भर में नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं, इनका महत्त्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य से आज के आर्थिक पैमानों पर इन नदियों की महत्ता का मूल्यांकन होना बाकी है, लेकिन समय के साथ उन्हें उनके उपयोगी और गैर उपयोगी मूल्यों के चलते निश्चित तौर पर अमूल्य सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाएगा।

समय के साथ ऐसी उन्मुक्त बहती नदियां तेज़ी से खत्म होती जा रही हैं। दुनिया की 177 बड़ी नदियों (हज़ार कि.मी. या उससे लंबी) में से अब केवल एक तिहाई नदियां ही उन्मुक्त बहती हैं और मात्र 21 नदियां ही ऐसी रह गई हैं जो अपने उद्गम से शुरू होकर बगैर किसी बाधा के समुद्र तक पहुंचती हैं।

उन्मुक्त बहती नदियों का पर्यावरणीय दृष्टि से अपना महत्व है। सभी प्राकृतिक बहावों का अपना महत्त्व है। उदाहरण के लिए सूखा स्तर का प्रवाह बाहरी प्रजातियों का

सफाया करने के साथ-साथ परभक्षियों के लिए मददगार होता है तो बाढ़ स्तर का प्रवाह भूजल स्तर में बढ़ोतरी, पोषण तत्वों के संतुलन, मछलियों के प्रजनन और गाद को दूर करने में सहायक होता है। भारत की कुछ चुनिंदा उन्मुक्त बहती या न्यूनतम प्रभावित नदियां मछलियों की खतरे में पड़ी प्रजातियों (जैसे जाएंट कैटफिश, गंगा डॉल्फिन, स्नो ट्राउट, महाशीर इत्यादि) के लिए अंतिम आश्रय हैं। केरल में चलाकुडी नदी 50 से भी अधिक प्रजातियों की मछलियों का संरक्षण करती है तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, केन और सोन राष्ट्रीय पार्क घड़ियालों, मगरमच्छों और गंगा डॉल्फिन के फलने-फूलने में मददगार हैं। अभयारण्य होने के बावजूद चंबल घड़ियाल को उस समय कठिन दौर से गुज़रना पड़ा था जब राजस्थान सरकार ने उसकी धाराओं में चार पनबिजली प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बनाई थी। इससे उसकी विशिष्ट जैव विविधता प्रभावित होती। वह तो किस्मत से नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड ने इस योजना को खारिज कर दिया।

उन्मुक्त बहती नदियां अन्य कई तरह से भी सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे ये मत्स्य पालन व पर्यटन के विकास में सहायक होती हैं। ये लोगों के लिए पानी भी उपलब्ध करवाती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में बहने वाली उन्मुक्त बहती छोटी-सी नदी शास्त्री को लिया जा सकता है जो साल भर अपने किनारे बसे लोगों को पेयजल मुहैया करवाती है और वह भी बगैर किसी बांध के। कर्नाटक में बहने वाली अंगनाशिनी नदी 9600 से भी अधिक परिवारों को आजीविका मुहैया करवाती है। इस नदी के मुहाने से लोग सीपियां और शंख बटोरते हैं। ऐसे में बांध वाली और बिना बांध वाली नदियों के आर्थिक फायदों का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए इन नदियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं का आकलन करने की भी ज़रूरत है।

दुर्भाग्य से भारत में नदियों के उन्मुक्त बहाव के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है। हाल के दिनों में कई अभियानों, जिनमें डॉ. जी.डी. अग्रवाल का आमरण अनशन भी शामिल है, के बाद भागीरथी नदी के एक निश्चित हिस्से, गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक को बांधमुक्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन पिछले दिनों वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्री समूह ने विवादास्पद लोहारीनाग पाला पनबिजली प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी है। इससे उस हिस्से का बांधमुक्त रहना संदिग्ध हो गया है। गंगा और नर्मदा जैसी नदियों के सांस्कृतिक महत्त्व को देखते हुए इन्हें बांधमुक्त घोषित करने की पहल, यदि साकार हुई तो भी बहुत छोटी, बहुत विलंब से और बहुत ही सतही है।

बहुत से देश अपने यहां की नदियों को बांधों के हमलों से बचाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं और ऐसे कानूनी रास्ते निकाल रहे हैं कि पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक हितों का एक साथ प्रबंधन कर सकें।

तो इस मसले के दूसरे पहलू पर भी नज़र डालें जहां नदियो को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं और स्वेच्छा से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों से कई सबक सीखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये नीतियां और कानून आसानी से नहीं बन गए। इनके लिए कई लोगों, समुदायों, संगठनों, सांस्कृतिक समूहों, प्राकृतिक समूहों इत्यादि को काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा है और आज भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये नीतियां कोई समझौता नहीं है कि इससे कुछ समूह खुश हो जाएं और अन्य नदियों पर बांध बनाने का कार्य बदस्तूर जारी रहे। अधिकतर देशों ने वन्य अथवा सुरम्य/ हेरिटेज या राष्ट्रीय नदियों की पहचान के लिए अपने मानदंड बनाए हैं और वे गतिविधियां निर्धारित की हैं जो इन नदियों की धाराओं में की जा सकती हैं। सामुदायिक भागीदारी, मूल निवासियों के सरोकारों और उनके जलाधिकार को भी रेखांकित किया गया है।

अमरीका

अमरीका में वन्य एवं प्राकृतिक नदी कानून 1968 विशेष रूप से घोषित करता है कि "अमरीका की नदियों पर बांध और अन्य निर्माण कार्य की स्थापित राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ एक ऐसी पूरक नीति ज़रूरी है जो चुनिंदा नदियों या उनके हिस्सों में उनके उन्मुक्त बहाव को संरक्षित करें

ताकि उन नदियों में जल की गुणवत्ता का संरक्षण किया जा सके और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।" इस कानून का मुख्य तत्व नदियों के उन्मुक्त बहाव का संरक्षण करना है। कानून में उन्मुक्त बहाव को इस तरह से परिभाषित किया गया है, "पानी को रोके बगैर, दिशा बदले बगैर, बहाव को सीधा किए बगैर, बहाव के मार्ग में अवरोध खड़े किए बगैर या उसके बहाव को अन्य प्रकार से परिवर्तित किए बगैर प्राकृतिक या मौजूदा स्थिति में नदी को बहने देना।"

भारत में तर्क दिया जाता है कि बहती नदी योजनाएं (रन-ऑफ-दी-रिवर) नदी को प्रभावित नहीं करतीं, लेकिन इस कानून की मानें तो उन्मुक्त बहती नदी वही कहलाती है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया गया हो या उसके बहाव को बदला न गया हो।

अमरीका में प्रत्येक नदी संघीय या प्रांतीय एजेंसी द्वारा प्रशासित है। वन्य और प्राकृतिक नदियों व सहायक नदियों का प्रबंधन यूएस फिश एण्ड वाइल्ड लाइफ सर्विस, यूएस फॉरेस्ट सर्विस, नेशनल पार्क सर्विस इत्यादि संघीय या प्रांतीय एजेंसियां करती हैं। 1995 में इन एजेंसियों और नदियों के संरक्षण व प्रबंधन में रुचि लेने वाली अन्य एजेंसियों के समन्वय से वन्य एवं प्राकृतिक नदी परिषद गठित की गई थी।

अपने पानी पर राज्यों का अधिकार तब तक अप्रभावित रहता है जब तक कि वे इस कानून का उल्लंघन न करें। कानून यह भी कहता है कि पानी पर व्यक्तिगत अधिकार की भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। अपनी-अपनी विशेषताओं के आधार पर नदियों को वन्य, प्राकृतिक और मनोरंजनात्मक नदियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सभी का प्रबंधन अलग-अलग किया जाता है।

कानून के तहत बांध के निर्माण या ऐसी अन्य निर्माण गतिविधियों को संघीय समर्थन पर पाबंदी है जिनसे नदी के उन्मुक्त बहाव में बाधा पहुंचे अथवा उसके पानी की गुणवत्ता या विशिष्ट संसाधन मूल्यों को नुकसान पहुंचे।

वर्ष 2008 में इस कानून को लागू हुए 40 साल हो गए। इस दौरान इस राष्ट्रीय प्रणाली की वजह से 38 राज्यों और कॉमनवेल्थ ऑफ प्योर्टो रिको में 166 नदियों के 18 हज़ार कि.मी. लंबे क्षेत्र का संरक्षण किया जा चुका है। वैसे यह देश की कुल नदियों का महज 0.25 फीसदी है। इसके बनिस्बत 75 हज़ार बड़े बांधों के निर्माण की वजह से 9 लाख 60 हज़ार कि.मी. से भी अधिक लंबाई में नदियों की धारा में बदलाव हुआ है। यह अमरीकी नदियों का करीब 17 फीसदी है। 30 मार्च 2010 को अमरीकी कांग्रेस ने इस कानून में 1800 कि.मी. लंबी नदियां और शामिल कर लीं। वर्तमान में वन्य एवं प्राकृतिक नदी संरक्षण प्रणाली में संरक्षित नदियों की संख्या 252 है।

कनाडा

कैनेडियन हेरिटेज रिवर्स सिस्टम यानी सी.एच.आर.एस. कनाडा की राष्ट्रीय नदियों के संरक्षण का कार्यक्रम है। सी.एच.आर.एस. का गठन वर्ष 1984 में संघीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों ने कनाडा की श्रेष्ठ नदी विरासत को संरक्षित करने और उन्हें राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के उद्देश्य से किया था। यह कनाडा की केंद्र सरकार, सभी 10 प्रांतीय सरकारों और तीन क्षेत्रीय सरकारों का साझा कार्यक्रम है। सी.एच.आर.एस. एक सार्वजनिक ट्रस्ट है और इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है।

इस प्रणाली का संचालन हेरिटेज रिवर्स बोर्ड करता है जिसमें सरकार के साथ-साथ नागरिक समुदायों के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं। हेरिटेज में किसी नदी को शामिल करने के लिए उसे पहले नामित करना होता है। इसमें वही नदी शामिल की जा सकती है जिसका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक महत्त्व हो, जिसे आम नागरिकों का भरपूर समर्थन मिले। इसके अलावा आवेदन में यह भी वादा करना होगा कि अमुक नदी की इन विशेषताओं के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। हेरिटेज में किसी नदी को शामिल करने का एक महत्त्वपूर्ण मानदंड यह भी है कि उसकी धारा में किसी तरह का मानवीय दखल यानी उसके प्रवाह में मानव निर्मित संरचना न हो।

किसी नदी को हेरिटेज के रूप में मनोनीत करने के लिए सरकार बोर्ड के समक्ष प्रबंधन योजना या हेरिटेज

रणनीति पेश करती है। इस योजना या नीति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस नदी के विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक महत्त्व को अक्षुण्ण रखा जाएगा। इस योजना में यह बताया जाता है कि नदी के संरक्षण के लिए किस तरह की गतिविधियां हाथ में ली जाएंगी। यह योजना लोगों से विचार-विमर्श और उनकी सहमति के आधार पर तैयार की जाती है।

हेरिटेज रिवर्स बोर्ड ने कई महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी तैयार किए हैं। 'कल्चरल फ्रेमवर्क फॉर कैनेडियन हेरिटेज रिवर्स' में कनाडा की सांस्कृतिक नदी विरासत के तत्वों का वर्णन किया गया है। इसी तरह 'फ्रेमवर्क फॉर नेचुरल वैल्यूज़ ऑफ कैनेडियन हेरिटेज रिवर्स' का प्रकाशन किया गया है। इसका उपयोग सी.एच.आर.एस. में शामिल नदियों के आकलन में किया जा सकता है।

हाल ही की एक घटना में उत्तर अल्बर्टा के एक सांसद ने रेत (टार सैण्ड) से तेल निकालने की एक परियोजना का इसलिए विरोध किया क्योंकि इस कार्य के लिए अब तक अछूती नदी क्लियरवाटर रिवर से पानी निकालने की योजना थी। इसके लिए उन्होंने क्लियरवाटर की सी.एच.आर.एस. हैसियत के बल पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का सहयोग लिया। इसके विपरीत हमारे यहां पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्त्व की अछूती नदियों को ऐसे संसाधनों के रूप में देखा जाता है जिनका दोहन किया जाना बाकी है।

दिलचस्प बात यह है कि सी.एच.आर.एस. न केवल उन्मुक्त बहती नदियों के लिए, बल्कि ग्रैण्ड एवं ओटावा जैसी काफी विकसित नदियों की हेरिटेज विशेषताओं के संरक्षण के लिए भी कार्य करता है। वर्तमान में 38 नदियों को हेरिटेज में शामिल किया गया है, जबकि छह नदियां प्रस्तावित हैं। ये नदियां कनाडा की सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ऑस्ट्रेलिया

भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया की नदियों को औपनिवेशीकरण और आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के विकास की प्रक्रिया के दौरान काफी क्षति पहुंची। आज इसकी अधिकांश नदियां अति दोहन, प्रदूषण, जलग्रहण क्षेत्र में बदलाव और नदी बंदोबस्त के कारण बुरी तरह से विकृत हो चुकी हैं।

वाइल्ड रिवर्स कैम्पेन और उसके बाद बने कानूनों के बीज तस्मानियन वाइल्डरनेस सोसाइटी की अगुवाई में 1970 के दशक में चलाए गए फ्रेंकलिन रिवर कैम्पेन के दौरान ही पड़ गए थे। अपने आप में अद्वितीय मानी जाने वाली फ्रेंकलिन नदी पर एक विशाल पनबिजली बांध बनाने की योजना थी, लेकिन सोसाइटी के लगातार प्रयासों के चलते इसे रोक दिया गया।

सोसाइटी के बैनर तले अन्य अछूती नदियों के संरक्षण के प्रयास लगातार चलते रहे। 1992 में वाइल्ड रिवर्स एक्ट पारित हुआ। इसके तहत वन्य नदियों के प्रबंधन की मुख्य ज़िम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन हेरिटेज कमीशन को सौंपी गई है। वाइल्ड रिवर्स प्रोजेक्ट की निगरानी का ज़िम्मा वाइल्ड रिवर्स कमेटी को दिया गया। इस कमेटी में कॉमनवेल्थ, प्रांतीय व क्षेत्रीय सरकारों, स्थानीय सरकारों, भूस्वामियों, नेशनल फार्मर्स फेडरेशन सहित संरक्षण समूहों, मूल निवासियों और वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

ऑस्ट्रेलियन हेरिटेज कमीशन ने 1998 में वाइल्ड रिवर्स प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। इसने दो रिपोर्ट प्रकाशित की जिनके शीर्षक थे: 'दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड रिवर्स' और 'कंज़र्वेशन गाइडलाइन्स फॉर दी मेनेजमेंट ऑफ वाइल्ड रिवर वैल्यूज़'। ये रिपोर्ट्स क्वींसलैण्ड वाइल्ड रिवर्स एक्ट 2005 का आधार बनीं।

वन्य नदी को ऐसी धारा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके सभी या लगभग सभी प्राकृतिक मूल्य अक्षुण्ण हों। ज़रूरी नहीं कि कोई नदी तभी वन्य नदी कहलाएगी जब वह अपने मूल रूप में ही मौजूद हो। आवश्यक यह है कि वह अपने जलग्रहण क्षेत्र में विकास कार्यों से अप्रभावित रही हो। पर्यावरण एवं संसाधन प्रबंधन विभाग के अनुसार किसी वन्य नदी के लिए निम्न तत्व अनिवार्य हैं:

- ☐ नदियां उन्मुक्त बहती हों और अपने कछार व भूजल भंडार के साथ अच्छी तरह जुड़ी हों।
- ☐ नदी का तल और किनारे तलछट के प्राकृतिक बहाव के साथ स्थिर रहते हों।

- मानव और इकॉलॉजी की ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त गुणवत्ता का पानी हो।
- किनारों के संरक्षण और जीव-जंतुओं के भोजन हेतु पर्याप्त मात्रा में पेड़-पौधे हों।
- वन्य जीव कॉरिडोरः नदियों के साथ ऐसे प्राकृतिक रहवास जहां स्थानीय प्राणियों को अपने ही क्षेत्र में इधर-उधर जाने में आसानी हो।

भारत की ही तरह ऑस्ट्रेलिया में भी पानी राज्यों का विषय है और प्रत्येक राज्य को वन्य नदियों का प्रबंधन अपने ढंग से करने का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैण्ड जैसे कुछ राज्यों में जब राज्य सरकार ने जल कानून 2000 पारित करके जल प्रबंधन में बदलाव करने की कोशिश की तो संरक्षण समूहों ने नदियों की प्राकृतिक विशेषताओं का संरक्षण करने के लिए एक समानांतर अलग कानून बनाने का पुरज़ोर समर्थन किया। इन समूहों का मानना था कि जल कानून मुख्यतः पानी के बंटवारे और उसके उपयोग पर केंद्रित है और पर्यावरणीय संरक्षण सम्बंधी मसलों का समाधान नहीं करता है, न ही क्वींसलैण्ड की बची-खुची उन्मुक्त बहती नदियों को बचाने की प्रभावी नियामक रूपरेखा ही मुहैया करवाता है।

कानून की दृष्टि से नदियों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता हैः अति-संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, कछार प्रबंधन क्षेत्र, भूजल प्रबंधन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, नामित जलधाराएं। इनमें अलग-अलग स्तर की गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। कुल मिलाकर आशय यह होता है कि खास तौर से अति-संरक्षित क्षेत्र में कोई विनाशकारी कार्य न हो। अन्य क्षेत्रों के लिए भी गतिविधियां निर्धारित हैं।

वन्य नदी की घोषणा सामुदायिक विचार-विमर्श के बगैर संभव नहीं है। औपचारिक विचार विमर्श की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सरकार मसौदा प्रस्ताव जारी करती है। इसमें नक्शा भी जारी किया जाता है जिसमें प्रस्तावित प्रबंधन क्षेत्र दर्शाया जाता है। इसके बाद आमने-सामने की मुलाकातों का दौर चलता है। ये बैठकें सरकार और समाज के विभिन्न वर्गों, समूहों और औद्योगिक संगठनों के बीच होती हैं।

स्वीडन

स्वीडिश पर्यावरणविद् और उन्मुक्त बहती नदियों के अग्रणी पैरोकार क्रिस्टर नील्सन के अनुसार देश की अंतिम चार बड़ी नदियों को बांधों से बचाने के लिए आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ। यह वह समय था जब स्वीडन की अधिकांश नदियों पर बांध खड़े किए जा चुके थे। स्वीडन में पर्यावरण को लेकर यह पहली बड़ी लड़ाई थी। अप्रैल 1970 में सरकार ने चार नदियों में से एक पर नियोजित विकास पर रोक लगा दी।

इस पर्यावरण आंदोलन ने उन्मुक्त बहती नदियों के महत्त्व पर पहली बार वैज्ञानिक ढंग से चर्चा की। अंततः स्वीडिश सरकार ने कैलिक्स, टोर्ने सहित चारों बड़ी नदियों को राष्ट्रीय नदी घोषित कर इन पर नियोजित विकास पर रोक लगा दी। अन्य छोटी नदियों को भी नेशनल पार्क, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि उपायों द्वारा संरक्षित किया गया।

निष्कर्ष

उन्मुक्त बहती नदियों के असीमित प्रत्यक्ष और परोक्ष मूल्यों के मद्देनज़र इन बची-खुची नदियों को बचाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इन नदियों को संरक्षित करने के लिए जिन देशों ने कानून और नियम बनाए हैं, वे सभी विकसित देश हैं। हमारे जैसे विकासशील देशों को भी इनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। हमारे लिए तो नदियों का संरक्षण और भी ज़रूरी इसलिए है कि हम प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अगर हम यह प्राकृतिक पूंजी खोते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाज़ा ग्रामीण गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को उठाना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालयीन और प्रायद्वीपीय नदियों का भविष्य बहुत उज्ज्वल नज़र नहीं आ रहा है और ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों, खासकर उन्मुक्त बहती नदियों का संरक्षण और भी ज़रूरी हो जाता है।

बेहतर होगा कि हम उन्मुक्त बहती नदी की सटीक परिभाषा में न उलझें, क्योंकि हमारी अधिकांश छोटी-बड़ी नदियों पर रुकावटें बन चुकी हैं। ऐसी नदियां जिनके पानी और तलछट का बहाव बांधों द्वारा बाधित नहीं होता हो, जिन

पर कोई तटबंध न हो या जिनके पानी के बहाव को मोड़ा न गया हो, जिनके पानी की गुणवत्ता अच्छी हो और जो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण हो, को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के संरक्षण के लिए ज़रूर संरक्षित किया जाना चाहिए। ये नदियां कल के युवा मस्तिष्कों के लिए मुक्त प्रयोगशाला साबित होंगी जिनके नसीब में शायद प्राकृतिक नदियों को देखना न हो। पश्चिमी घाट में बहने वाली गुंडिया जैसी नदियां, जिनके लिए पनबिजली बांध खतरा बने हुए हैं, तेज़ी से घटती जलीय, तटीय और पक्षी जैव विविधता के लिए आखिरी पनाह होंगी। इस तरह की नदियां वन पारिस्थितिकी तंत्र को पल्लवित करने में भी मददगार होंगी।

भारत में नदियों के पर्यावरणीय आकलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अधिकांश नदियों की पारिस्थितिकी सेवाओं का अब तक हम निर्धारण नहीं कर पाए हैं और दीर्घकालीन प्रबंधकीय फैसलों के अभाव में हम इन सेवाओं को इस स्तर तक गंवा चुके होंगे जिनकी भरपाई असंभव हो जाएगी। यहीं पर यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि जिन नदियों पर बांध बन चुके हैं, उनके भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका अपना अद्वितीय पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। इन हिस्सों को बचाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए चलाकुडी, जय भोरोली, रामगंगा, कबिनी इत्यादि नदियों के कुछ हिस्से मत्स्य संपदा और पक्षी जैव विविधता को सहारा देते हैं। इसी तरह नर्मदा, गंगा, कृष्णा, गोदावरी जैसी नदियों के खंडों का अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व है। इन नदियों के ऐसे हिस्सों को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों, संरक्षित क्षेत्रों इत्यादि के रूप में विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। अंत में यही कहना उचित रहेगा कि प्रत्येक पारिस्थितिकी वर्ग की नदियों जैसे हिमालयीन नदी, रेगिस्तानी नदी, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों को संरक्षित करना आज की महती ज़रूरत है। सभी बड़ी नदियों में पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हिस्सों की पहचान कर उनका संरक्षण किया जाना चाहिए।

केंद्रों एवं राज्यों के जल संसाधन मंत्रालयों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, मत्स्य विभागों, गंगा, यमुना और अन्य नदियों के रिवर एक्शन प्लान, संसद, विधायिका, मीडिया और अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों के निराशाजनक प्रदर्शन के मद्देनज़र वक्त आ गया है कि हम यह सबक सीखें: 'नदियों की बहाली से बेहतर है उनका संरक्षण।' ***(स्रोत फीचर्स)***